

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

मिसल नं. ....16/2024,

दर्ज दिनांक :-

बनाम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
29.11.2024	<p>आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम, 1957 मय दस्तावेज प्रार्थी तहसीलदार कठूमर की ओर से मय जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक के पेश हुआ। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। आइन्दा वास्ते गौर(आदेश) दिनांक 20.12.2024 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०</p>	
20.12.2024	<p>आज यह पत्रावली वास्ते गौर(आदेश) में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा संलग्न जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट व पर्चा मौका तथा तहसीलदार कठूमर की अभिशंषा का महनता पूर्वक अध्ययन किया। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहसीलदार कठूमर, स्वीकार किया जाकर प्रकरण राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय प्रथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। तहसीलदार कठूमर को पालना हेतु आदेश जारी हो। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०</p>	

2024/676  
**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर अलवर (राज0)**

क्रमांक: राजस्व/2024/ 469

दिनांक: 26/12/2024

तहसीलदार कठूमर

बनाम

कमलेश वगै0

**आदेश**

तहसीलदार कठूमर के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957, मय दस्तावेज नकल जमाबंदी नकल नक्शा, पटवारी व भू-अभिलेख, अभिशंषा तहसीलदार कठूमर को ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसके अनुसार पटवार मण्डल दांतिया के ग्राम दांतिया तहसील कठूमर के खसरावार -

खसरा संख्या	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	रास्ते का रकबा (हेक्टेयर में)		खसरा संख्या	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	रास्ते का रकबा (हेक्टेयर में)
1402	0.25	0.1120		1582/1451	0.2972	0.0240
1417	0.72	0.0072		1583/1451	0.3600	0.036
1415	0.28	0.0440		1412	0.27	0.3360
1416	0.25	0.0064		1450	1.11	0.0144
1413	0.10	0.0128		1581/1451	0.0628	0.0096
		0.0144				

उपरोक्तानुसार चल रहे रास्ता का अंकन राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु पेश किया, जो चालू है। संबंधित पटवारी हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट में मौके पर उक्त रास्ते को काफी पुराने समय से चालू बताया है। साथ ही जांच भू अ. निरीक्षक एवं तहसीलदार कठूमर की अभिशंषा के अनुसार यह पाया गया कि आवेदन तथा सलंगन नक्शे में दर्शाये अनुसार मौके पर चालू कदिमी/स्थाई रास्ता चालू है। अतः राजस्थान सरकार के राजस्व परिपत्रांक प. 3(17)राज-6/2021/पार्ट/91 दिनांक 30.09.2021 में वर्णित निर्देशों अनुसार आवेदक खातेदारान की खातेदारी की भूमि में से मौके पर स्थाई रूप से चालू लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में अंकन से शेष कदिमी रास्ते को खातेदार की खातेदारी में रखते हुए गैर मु. रास्ता दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार कठूमर को निर्देशित किया जाता है कि रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड एवं राजस्व नक्शे में सलंगन नक्शे एवं परिशिष्ट ए में वर्णितानुसार करावे। तहसीलदार कठूमर इस आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट से अवगत करावें।

यह आदेश आज दिनांक 20/12/24 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

(श्याम सुन्दर घेतीवाल)  
उपखण्ड अधिकारी  
कठूमर (अलवर)